भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1023

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है।)

विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से रखा काला धन

1023 श्री राम नाथ ठाकुर: श्री जावेद अली खान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आज की तारीख तक विदेशी बैंकों में गुप्त रुप से रखे गए काले धन में से कितना काला धन देश में वापस लाया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**ख**) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में गुप्त से रखे गए काले धन में अब तक हुई वृद्धि/कमी का ब्यौरा क्या है;

(**ग**) क्या सरकार के पास वर्ष 2020 से 2023 के दौरान आज की तारीख तक देश से विदेशों में भेजे गए काले धन के संबंध में कोई वर्ष-वार आंकड़ें है;

(**घ**) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;और

(**ङ**) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड़): आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, भारत में कर निवास का निर्धारण संबंधित व्यक्ति के मूल देश पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए, भारत का कोई नागरिक या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत का कर निवासी नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा, विदेशी बैंकों में जमा की गई निधियों में प्रकटित और अप्रकटित निधियां तथा इस प्रकार के विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं में जमा निधि भी शामिल हो सकती है। हाल ही विगत में, अप्रकटित विदेशी परिसंपत्तियों और आय को कर के दायरे में लाने के लिए सरकार ने कई ठोस तथा अग्रसक्रिय कदम उठाए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, उठाए गए कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) सरकार ने एक व्यापक तथा और कठोर नया कानून बनाया है नामत: कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, जो दिनांक 01.07.2015 से लागू हो गया है। कठोर दंडात्मक परिणामों को निर्धारित करने के अलावा, इस कानून में अप्रकटित विदेशी आय/परिसंपत्तियों के संबंध में कर का जान-बूझ कर वंचन करने आदि को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल किया है। काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत पूर्ण किए गए निर्धारणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	**उठाई गई मांग (करोड़ रु. में)**
2018-19	135
2019-20	1026
2020-21	7055
2021-22	5350
2022-23	2647
2023-24*	213
कुल	**16426**

*दिनांक 30.06.2023 तक

(ii) कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 को कारगर ढंग से लागू करने और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए, भारत भर में आयकर महानिदेशकों (जांच) के अंतर्गत 29 विदेशी परिसंपत्ति जांच इकाईयां स्थापित की गई हैं।

(iii) सरकार ने 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो भूतपूर्व न्यायमूर्तियों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में कालाधन संबंधी विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। इस एसआईटी की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं जिसमें यह एसआईटी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा कालेधन के खिलाफ की जा रही कार्रवाईयों, विशेषकर जिसमें अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों का मामला बनता हो, का मूल्यांकन करता है।

(iv) भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्राधिकारों के साथ दोहरा कराधान परिहार करार/कर सूचना विनिमय करार/ कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय समझौता/ सार्क बहुपक्षीय करार ('कर संधियां') किए हैं जिनके तहत ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है जो कर संबंधी घरेलू कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन की दृष्टि से संगत प्रतीत होते हैं। इन कर संधियों के अंतर्गत सूचनाओं का आदान-प्रदान किए जाने के लिए भारत अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ सकारात्मक रूप से जुडा हुआ है। जहां भी जरूरत होती है, इन करारों/संधियों में संशोधन किया जाता है और उनको अद्यतन भी किया जाता है।

(v) विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित विभिन्न श्रेणी के मामलों जैसे पनामा पेपर लीक्स, पैराडाइज पेपर लीक्स और हाल ही में हुए पैंडोरा पेपर लीक्स में तेज और समन्वित जांच करने के लिए सरकार ने एक बहु-एजेंसी समूह (एमएजी) का गठन किया है जिसमें विभिन्न प्रर्वतन एजेंसियों/संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(vi) इसके अलावा, भारत में कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (सीआरएस) के आधार पर सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) को भी लागू किया है और 2017 से अब तक अन्य क्षेत्राधिकारों में रह रहे भारतीय निवासियों की वित्तीय लेखा जानकारी प्राप्त की है, जिनके साथ एईओआई संलग्नता को सक्रिय बनाया गया है। भारत ने 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्वचलित आधार पर वित्तीय लेखा जानकारी को साझा करने के लिए एक अंतर-सरकारी संधि (आईजीए) पर हस्ताक्षर किया है।

(vii) सरकार द्वारा कारगर प्रवर्तनकारी कार्रवाईयां की जा रही हैं, जिनमें विदेशी परिसंपत्तियों के मामलों में तेजी से जांच करना शामिल हैं। ऐसी कार्रवाईयों में तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का निर्धारण, करों की वसूली, जुर्माना आदि और जहां भी जरूरत हो, वहां आपराधिक अदालतों में अभियोजन की शिकायतें फाइल करना शामिल हैं।

*****